1 अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ– CHIRAYU योजना (Comprehensive Health Insurance of Antyodaya Units)

- दिनांक 21.11.2022 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने **चिरायु** योजना के तहत आयुष्मान भारत का अंत्योदय परिवारों तक विस्तार का शुभारंभ किया। यह लगभग 28 लाख परिवार है जिसमें 1,17,60,323 सदस्य लाभार्थी है। इन लाभार्थियों को एबी– पीएमजेएवाई की तरह 5 लाख रु. तक का मुफ्त ईलाज का लाभ मिलेगा।
- दिनांक 21.11.2022 से अभी तक 56,55,596 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड चिरायु (CHIRAYU) योजना के तहत बनाए जा चुके है। एबी–पीएमजेएवाई तथा चिरायु (CHIRAYU) योजना में मिलकर 85,44,883 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके है।
- आयुष्मान कार्ड पीपीपी आईडी का उपयोग करके तैयार किए जा रहें है, जो यूआईडी के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए आवेदक द्वारा कार्ड बनाने में धोखाधड़ी गतिविधियों को कम करने के लिए डी–डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है।
- कार्ड बनने के बाद योजना का लाभ सभी सरकारी व सूचिबद्व निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को मिल रहा है।
- एबी–पीएमजेएवाई योजना में एस.ई.सी.सी–2011 के लाभार्थियों के लिए कैन्द्र सरकार ने 60:40 का बजट प्रावधान किया है जिसमें 60 प्रतिशत का भुगतान केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत का हरियाणा सरकार वहन करेगी। चिरायु योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत बजट प्रावधान किया जाएगा। अत्योदय योजना के लिए हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में 612 करोड़ रूप्ये का बजट प्रावधान किया है।
- लाभार्थियों का डाटा एनएचए, भारत सरकार के साथ साझा किया गया है ताकि वह डाटा एबी–पीएमजेएवाई पोर्टल तथा पीपीपी आईडी के साथ एकीकृत किया जा सके। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने और मिशन मोड में उनके कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों के साथ एकीकृत डेटा साझा किया गया है।
- यह योजना पूरी तरह से कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, डिजिटल और आईटी संचालित है जो पूरे हरियाणा में कुल 789 सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पीएमजेएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार मुफ्त ईलाज देती है।
- परिवार के सदस्यों की संख्या तथा उनकी उम्र पर कोई सीमा नहीं है।
- पहले से मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया जा रहा है।
- एबी–पीएमजेएवाई के सभी स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP) योजना के लाभार्थियों को मौजूदा पैकेज संरचना में दिए जाएगें।

- लगभग 1500 उपचार पैकेजों में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल है।
- योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले की जांच, भर्ती होने के दौरान और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिनों के बाद के खर्च आदि शामिल हैं।